

Bid Document/ बिड दस्तावेज़

Bid Details/बिड विवरण	
Bid End Date/Time/बिड बंद होने की तारीख/समय	01-04-2025 12:00:00
Bid Opening Date/Time/बिड खुलने की तारीख/समय	01-04-2025 12:30:00
Bid Offer Validity (From End Date)/बिड पेशकश वैधता (बंद होने की तारीख से)	90 (Days)
Ministry/State Name/मंत्रालय/राज्य का नाम	Ministry Of Agriculture And Farmers Welfare
Department Name/विभाग का नाम	Department Of Agriculture Cooperation And Farmers Welfare
Organisation Name/संगठन का नाम	National Seeds Corporation Limited (nsc)
Office Name/कार्यालय का नाम	Head Office Beej Bhawan Pusa Complex New Delhi
क्रेता ईमेल/Buyer Email	buycon22.nscIn.ch@gembuyer.in
Item Category/मद केटेगरी	Monthly Basis Cab & Taxi Hiring Services - Sedan; 2000 km per Month; Local
Contract Period/अनुबंध अवधि	1 Year(s)
Minimum Average Annual Turnover of the bidder (For 3 Years)/बिडर का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओवर (3 वर्षों का)	10 Lakh (s)
Years of Past Experience Required for same/similar service/उन्हीं/समान सेवाओं के लिए अपेक्षित विगत अनुभव के वर्ष	3 Year (s)
Past Experience of Similar Services required/इसी तरह की सेवाओं का पिछला आवश्यक अनुभव है	Yes
MSE Exemption for Years Of Experience/अनुभव के वर्षों से एमएसई छूट/ and Turnover/टर्नओवर के लिए एमएसई को छूट प्राप्त है	Yes
Startup Exemption for Years Of Experience/अनुभव के वर्षों से स्टार्टअप छूट/ and Turnover/ टर्नओवर के लिए स्टार्टअप को छूट प्राप्त है	Yes

Bid Details/बिड विवरण	
Document required from seller/विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज़	Experience Criteria,Bidder Turnover,Certificate (Requested in ATC) *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer
Do you want to show documents uploaded by bidders to all bidders participated in bid?/	Yes
Bid to RA enabled/बिड से रिवर्स नीलामी सक्रिय किया	Yes
RA Qualification Rule	50% Lowest Priced Technically Qualified Bidders
Type of Bid/बिड का प्रकार	Two Packet Bid
Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation/तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण हेतु अनुमत समय	2 Days
Estimated Bid Value/अनुमानित बिड मूल्य	510000
Evaluation Method/मूल्यांकन पद्धति	Total value wise evaluation
Financial Document Indicating Price Breakup Required/मूल्य दर्शाने वाला वित्तीय दस्तावेज़ ब्रेकअप आवश्यक है	Yes
Arbitration Clause	No
Mediation Clause	No

EMD Detail/ईएमडी विवरण

Advisory Bank/एडवाइजरी बैंक	State Bank of India
EMD Amount/ईएमडी राशि	25000

ePBG Detail/ईपीबीजी विवरण

Advisory Bank/एडवाइजरी बैंक	State Bank of India
ePBG Percentage(%) / ईपीबीजी प्रतिशत (%)	5.00
Duration of ePBG required (Months)/ईपीबीजी की अपेक्षित अवधि (महीने).	12

(a). EMD EXEMPTION: The bidder seeking EMD exemption, must submit the valid supporting document for the relevant category as per GeM GTC with the bid. Under MSE category, only manufacturers for goods and Service Providers for Services are eligible for exemption from EMD. Traders are excluded from the purview of this Policy./जेम की शर्तों के अनुसार ईएमडी छूट के इच्छुक बिडर को संबंधित केटेगरी के लिए बिड के साथ वैध समर्थित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने हैं। एमएसई केटेगरी के अंतर्गत केवल वस्तुओं के लिए विनिर्माता तथा सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता ईएमडी से छूट के पात्र हैं। व्यापारियों को इस नीति के

दायरे से बाहर रखा गया है।

(b). EMD & Performance security should be in favour of Beneficiary, wherever it is applicable./ईएमडी और संपादन जमानत राशि, जहां यह लागू होती है, लाभार्थी के पक्ष में होनी चाहिए।

Beneficiary/लाभार्थी :

REGIONAL MANAGER, CHANDIGARH

Regional Office - Chandigarh, National Seeds Corporation (NSC) Ltd., Plot No-24, Phase-IX, Industrial Area, Mohali, Chandigarh-160062 (Punjab)

(National Seeds Corporation Limited)

MII Compliance/एमआईआई अनुपालन

MI Compliance/एमआईआई अनुपालन	Yes
------------------------------	-----

MSE Purchase Preference/एमएसई खरीद वरीयता

MSE Purchase Preference/एमएसई खरीद वरीयता	Yes
---	-----

1. If the bidder is a Micro or Small Enterprise as per latest definitions under MSME rules, the bidder shall be exempted from the requirement of "Bidder Turnover" criteria and "Experience Criteria" subject to meeting of quality and technical specifications. If the bidder is OEM of the offered products, it would be exempted from the "OEM Average Turnover" criteria also subject to meeting of quality and technical specifications. In case any bidder is seeking exemption from Turnover / Experience Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer.
2. If the bidder is a Startup, the bidder shall be exempted from the requirement of "Bidder Turnover" criteria and "Experience Criteria" subject to their meeting of quality and technical specifications. If the bidder is OEM of the offered products, it would be exempted from the "OEM Average Turnover" criteria also subject to meeting of quality and technical specifications. In case any bidder is seeking exemption from Turnover / Experience Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer.
3. The minimum average annual financial turnover of the bidder during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated above in the bid document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the bidder is less than 3-year-old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria.
4. Years of Past Experience required: The bidder must have experience for number of years as indicated above in bid document (ending month of March prior to the bid opening) of providing similar type of services to any Central / State Govt Organization / PSU. Copies of relevant contracts / orders to be uploaded along with bid in support of having provided services during each of the Financial year.
5. Purchase preference to Micro and Small Enterprises (MSEs): Purchase preference will be given to MSEs as defined in Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 dated 23.03.2012 issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Ministry. If the bidder wants to avail the Purchase preference for services, the bidder must be the Service provider of the offered Service. Relevant documentary evidence in this regard shall be uploaded along with the bid in respect of the offered service. If L-1 is not an MSE and MSE Service Provider (s) has/have quoted price within L-1+ 15% of margin of purchase preference /price band as defined in the relevant policy, then 100% order quantity will be awarded to such MSE bidder subject to acceptance of L1 bid price. The buyers are advised to refer to the [OM_No.1_4_2021_PPD_dated_18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017. Benefits of MSE will be allowed only if the credentials of the service provider are validated on-line in GeM profile as well as validated and approved by the Buyer after evaluation of submitted documents.
6. Estimated Bid Value indicated above is being declared solely for the purpose of guidance on EMD amount and for determining the Eligibility Criteria related to Turn Over, Past Performance and Project / Past Experience etc. This has no relevance or bearing on the price to be quoted by the bidders and is also not going to have any impact on bid participation. Also this is not going to be used as a criteria in determining reasonableness of quoted prices which would be determined by the buyer based on its own assessment of reasonableness and based on competitive prices received in Bid / RA process.

7. Past Experience of Similar Services: The bidder must have successfully executed/completed similar Services over the last three years i.e. the current financial year and the last three financial years(ending month of March prior to the bid opening): -

1. Three similar completed services costing not less than the amount equal to 40% (forty percent) of the estimated cost; or
2. Two similar completed services costing not less than the amount equal to 50% (fifty percent) of the estimated cost; or
3. One similar completed service costing not less than the amount equal to 80% (eighty percent) of the estimated cost.

8. Reverse Auction would be conducted amongst first 50% of the technically qualified bidders arranged in the order of prices from lowest to highest. Number of sellers eligible for participating in RA would be rounded off to next higher integer value if number of technically qualified bidders is odd (e.g. if 7 bids are technically qualified, then RA will be conducted amongst L-1 to L-4). In case number of technically qualified bidders are 2 or 3, RA will be between all without any elimination. If Buyer has chosen to split the bid amongst N sellers, then minimum N sellers would be taken to RA round. In case Primary products of only one OEM are left in contention for participation in RA based on lowest 50% bidders qualifying for RA, the number of sellers qualifying for RA would be increased to get at least products of one more OEM (directly participated or through its reseller) if available. Further, if bid(s) of any seller(s) eligible for MSE preference is / are coming within price band of 15% of Non MSE L-1 or if bid of any seller(s) eligible for Make in India preference is / are coming within price band of 20% of non MII L-1, then such MSE / Make in India seller shall also be allowed to participate in the RA process.

Additional Qualification/Data Required/अतिरिक्त योग्यता /आवश्यक डेटा

Fleet of owned vehicles with service provider, (Please limit the number to up to 100% of the vehicles demanded or 30 whichever is lesser):1

Drivers on Payroll (in Numbers) (Please limit the number to up to 100% of the vehicles demanded or 30 whichever is lesser):1

Minimum years (up to 5 years) of experience in related field:3

Number (upto 100%) of vehicles demanded should have been provided in a single contract to a government agency in the past three years:1

Number (up to 100%) of vehicles demanded should have been provided in the past 1 year to government agencies:1

Geographic Presence in States:Haryana, Punjab, Chandigarh, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir

Rate Per Km for Extra Usage in excess of chosen package as per the Vehicle Type selected. In case of bunch bid buyer must indicate extra KM rate for every Vehicle Type that is bunched::As per Normal Services mentioned in the clause no. 04 (scope of services) of GeM Service Level Agreement and Packages.

Rate Per Hour (Inclusive of GST) for Extra Usage in excess of chosen packageAs per Normal Services mentioned in the clause no. 04 (scope of services) of GeM Service Level Agreement and Packages.

Scope of Work:[1742467086.pdf](#)

Monthly Basis Cab & Taxi Hiring Services - Sedan; 2000 Km Per Month; Local (1)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification	Values
Core	
Vehicle Type	Sedan
Type of car (Please select at least 3 options)	Maruti Suzuki Dzire , Maruti Suzuki Tour S
Usage Variant	2000 km per Month
Type of Service	Local
Year of Vehicle Model	2023 , 2024 , 2025

Specification	Values
Km Travelled	Upto 25,000 Kms
Air Conditioning Requirement	A/C
Area of Operation	Hilly + Plain Area
Fuel Type	Petrol
Addon(s)/एडऑन	
Outstation night charges applicable	Yes

Additional Specification Documents/अतिरिक्त विशिष्टि दस्तावेज़

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Number of Vehicles Required	Additional Requirement/अतिरिक्त आवश्यकता
1	Puja Sethi	160062, Plot No 24 Industrial Area Phase IX Mohali Chandigarh	1	- Estimated number of outstation nights per month per vehicle : 5 - Duration in Months for which service is required : 12

Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions/क्रेता द्वारा जोड़ी गई बिड की विशेष शर्तें

1. Generic

OPTION CLAUSE: The buyer can increase or decrease the contract quantity or contract duration up to 25 percent at the time of issue of the contract. However, once the contract is issued, contract quantity or contract duration can only be increased up to 25 percent. Bidders are bound to accept the revised quantity or duration

2. Certificates

Bidder's offer is liable to be rejected if they don't upload any of the certificates / documents sought in the Bid document, ATC and Corrigendum if any.

3. Forms of EMD and PBG

Bidders can also submit the EMD with Payment online through RTGS / internet banking in Beneficiary name

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

Account No.

32919441606

IFSC Code

SBIN0031859

Bank Name

STATE BANK OF INDIA

Branch address

SCO 4 5, PHASE 11, SAS NAGAR, MOHALI (PUNJAB)

. Bidder to indicate bid number and name of bidding entity in the transaction details field at the time of on-line transfer. Bidder has to upload scanned copy / proof of the Online Payment Transfer along with bid.

4. Forms of EMD and PBG

Successful Bidder can submit the Performance Security in the form of Payment online through RTGS / internet banking also (besides PBG which is allowed as per GeM GTC). On-line payment shall be in Beneficiary name

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

Account No.

32919441606

IFSC Code

SBIN0031859

Bank Name

STATE BANK OF INDIA

Branch address

SCO 4 5, PHASE 11, SAS NAGAR, MOHALI (PUNJAB)

. Successful Bidder to indicate Contract number and name of Seller entity in the transaction details field at the time of on-line transfer. Bidder has to upload scanned copy / proof of the Online Payment Transfer in place of PBG within 15 days of award of contract.

5. Buyer Added Bid Specific ATC

Buyer Added text based ATC clauses

1. The bidder should upload the acceptance letter for accepting all the terms & conditions of bid document .
2. All the bidders should pay the EMD and Security Deposit amount to the official account of REGIONAL OF FICE - CHANDIGARH, NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED as mentioned in the additional terms and conditions of bid document.
3. The bidder is responsible for providing the vehicle during business hours and on holidays & night as needed by officials of Regional Office - Chandigarh, National Seeds Corporation Limited.
4. The Extra km rate as per mentioned in the the clause no. 4 (i.e., Scope of Services) of GeM Service Level Agreement and Packages.
5. The vehicle service should be available in local as well as outstation in 4 states (i.e., Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir) with chandigarh.
6. The vehicle should be registered in RTO in the name of bidder, and third party registered vehicle will not be considered.

7. The bidders should upload the necessary documents mentioned in the "Buyer uploaded ATC document". The list of necessity documents are as follows:

क. सं.	विवरण	सलग्न (हाँ या नहीं)
1	फर्म / प्रोपराइटरशिप का नाम, ईमेल, मोबाइल टेलीफोन नंबर, पूर्ण पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति	

2	यदि पार्टनर शिप फर्म है तो पार्टनरशिप डीड की एक प्रति संलग्न करें।	
3	कंपनी या पार्टनर शिप फर्म है तो हस्ताक्षर के लिए अधिकृत व्यक्ति होने का प्रमाण पत्र संलग्न करें।	
4	फर्म के जीएसटी पंजीकरण संख्या की प्रतिलिपि	
5	फर्म के पैन कार्ड की प्रतिलिपि	
6	बैंक विवरण हेतु रद्द किए गए बैंक चेक या Annexure-A पर दिये अनुसार प्रपत्र भर कर संलग्न करें (ईएमडी/सुरक्षा राशि को लौटाने हेतु)	
7	किसी भी प्रकार की दुर्घटना अथवा अन्य स्थिति में हुए नुकसान हेतु राष्ट्रीय बीज निगम के जिम्मेदार न होने के संबंध में शपथपत्र Annexure-B पर दिये अनुसार	
8	03 वर्षों का कार्य अनुभव प्रमाणपत्र/कार्यादेश निविदा दस्तावेज़ के अनुसार	
9	निविदाकर्ता का पिछले 3 वर्षों का वार्षिक कारोबार	
10	गैर काली सूचीबद्ध का शपथपत्र (Annexure-C के अनुसार)	
11	एमएसएमई (MSME) पंजीकरण प्रमाणपत्र (यदि निविदाकर्ता ईएमडी राशि/ कार्य अनुभव / वार्षिक कारोबार में छूट प्राप्त करना चाहता है तो एमएसएमई (MSME) प्रमाणपत्र प्रासंगिक श्रेणी में होना अनिवार्य है।)	
12	निविदा के सभी नियम एवं शर्तों को स्वीकारते हुए हस्ताक्षरित पत्र	
13	वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (वैध अवधि सहित) जिसका रजिस्ट्रेशन निविदाकर्ता के नाम पर होना अनिवार्य है।	
14	वाहन का पीयूसी/प्रदूषण प्रमाण पत्र (वैध अवधि सहित)	
15	वाहन का बीमा (वैध अवधि सहित)	

6. Buyer Added Bid Specific ATC

Buyer uploaded ATC document [Click here to view the file.](#)

Disclaimer/अस्वीकरण

The additional terms and conditions have been incorporated by the Buyer after approval of the Competent Authority in Buyer Organization, whereby Buyer organization is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any eccentricity / restriction arising in the bidding process due to these ATCs and due to modification of technical specifications and / or terms and conditions governing the bid. If any clause(s) is / are incorporated by the Buyer regarding following, the bid and resultant contracts shall be treated as null and void and such bids may be cancelled by GeM at any stage of bidding process without any notice:-

1. Definition of Class I and Class II suppliers in the bid not in line with the extant Order / Office Memorandum issued by DPIIT in this regard.
2. Seeking EMD submission from bidder(s), including via Additional Terms & Conditions, in contravention to exemption provided to such sellers under GeM GTC.
3. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available without any Category item bunched with it.
4. Creating BoQ bid for single item.
5. Mentioning specific Brand or Make or Model or Manufacturer or Dealer name.
6. Mandating submission of documents in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
7. Floating / creation of work contracts as Custom Bids in Services.
8. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process. (However, in bids for [attached categories](#), trials are allowed as per approved procurement policy of the buyer nodal Ministries)
9. Mandating foreign / international certifications even in case of existence of Indian Standards without specifying equivalent Indian Certification / standards.
10. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experience.
11. Creating bid for items from irrelevant categories.
12. Incorporating any clause against the MSME policy and Preference to Make in India Policy.
13. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
14. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee / Auction fee in case of Bids / Forward Auction, as the case may be.
15. Any ATC clause in contravention with GeM GTC Clause 4 (xiii)(h) will be invalid. In case of multiple L1 bidders against a service bid, the buyer shall place the Contract by selection of a bidder amongst the L-1 bidders through a Random Algorithm executed by GeM system.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller within 4 days of bid publication on GeM. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

All GeM Sellers / Service Providers are mandated to ensure compliance with all the applicable laws / acts / rules including but not limited to all Labour Laws such as The Minimum Wages Act, 1948, The Payment of Wages Act, 1936, The Payment of Bonus Act, 1965, The Equal Remuneration Act, 1976, The Payment of Gratuity Act, 1972 etc. Any non-compliance will be treated as breach of contract and Buyer may take suitable actions as per GeM Contract.

This Bid is governed by the [General Terms and Conditions/सामान्य नियम और शर्तें](#), conditions stipulated in Bid and [Service Level Agreement](#) specific to this Service as provided in the Marketplace. However in case if any condition specified in General Terms and Conditions/सामान्य नियम और शर्तें is contradicted by the conditions stipulated in Service Level Agreement, then it will over ride the conditions in the General Terms and Conditions.

In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws./जेम की सामान्य शर्तों के खंड 26 के संदर्भ में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बिडर से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बिडर इस निविदा में बिड देने के लिए तभी पात्र होगा जब वह बिड देने वाला सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो। बिड में भाग लेते समय बिडर को इसका अनुपालन करना होगा और कोई भी गलत घोषणा किए जाने व इसका अनुपालन न करने पर अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्यवाई का आधार होगा।

---Thank You/धन्यवाद---

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ में किराये पर वाहन उपलब्ध कराने के नियम और कानून:-

मारुति स्विफ्ट डिजायर / मारुति टूर एस (एसी व्हाइट कलर) मासिक आधार पर ड्राइवर सहित (जिसका कमर्शियल पंजीकरण/टैक्सी नंबर हो) प्रदान करने के लिए आमंत्रित ई-निविदा के नियम और शर्तें।

1. निविदादाता के पास कम से कम एक वाहन निविदा में चाहे गये वाहन के समतुल्य होना चाहिए, जिसके आवश्यक दस्तावेज जैसे पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र) आदि की स्वप्रमाणित छाया प्रति तकनीकी निविदा के साथ जमा करवानी होगी।
2. निविदादाता को निविदा में भाग लेने के लिए निविदा दस्तावेज में निर्धारित ईएमडी (EMD) राशि (यदि कोई है तो) और निविदा फार्म शुल्क ऑनलाइन (यदि कोई है तो) के माध्यम से जमा करवानी होगी। धरोहर राशि और निवेश शुल्क (यदि कोई है तो) के बिना कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. निविदादाता निविदा को GeM पोर्टल वेबसाइट <https://gem.gov.in> के माध्यम से ऑनलाइन जमा करवा सकता है। यदि निविदादाता एमएसएमई (MSME) के तहत पंजीकृत है, तो उसे निविदा फॉर्म शुल्क और ईएमडी का भुगतान करने से छूट दी जाएगी लेकिन तकनीकी निविदा के साथ एमएसएमई (MSME) प्रमाणपत्र (जो की प्रासंगिक श्रेणी में होना चाहिए) को जमा करवाना अनिवार्य होगा। निविदाकर्ता को निविदा के नियमों और शर्तों को स्वीकार करते हुए निविदा शीट के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर करें अन्यथा निविदाकर्ता एक स्वीकृति पत्र अपलोड/संलग्न करे।
4. सफल निविदाकर्ता की ईएमडी राशि (यदि कोई है तो) को सुरक्षा राशि के रूप में समायोजित किया जाएगा और शेष सुरक्षा राशि (जो की कुल निविदा मूल्य का 5% है) को भी स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर राष्ट्रीय बीज निगम, चंडीगढ़ के खाते में जमा कराने होंगे, जो अनुबंध की समाप्ति के एक महीने बाद बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। यदि निविदा में भाग लेने वाले निविदाकर्ता ने एमएसएमई (MSME) पंजीकरण के तहत छूट लेने के बाद ईएमडी/प्रतिभूति राशि जमा नहीं की है, तो उसे स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर सुरक्षा राशि के रूप में (जो की कुल निविदा मूल्य का 5% है) राष्ट्रीय बीज निगम, चंडीगढ़ के खाते में जमा करवाने होंगे।
5. वित्तीय निविदा में दी गई उद्धरित दर में जीएसटी (GST) सहित सभी कर शामिल होना आवश्यक है, इसके बाद दरों में कोई बदलाव स्वीकार्य नहीं होगा। इसीलिए, निविदाकर्ता का जीएसटी पंजीकरण होना अनिवार्य है।
6. बिना कोई कारण बताए, प्राप्त सभी निविदाओं या उनमें से किसी एक को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ के पास सुरक्षित रहेगा।
7. निविदाकर्ता को निविदा के प्रत्येक नियम एवं शर्तों की स्वीकृति के रूप में निविदा नियम एवं शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना हस्ताक्षर करे या फिर निविदाकर्ता एक स्वीकृति पत्र संलग्न करे और उसे तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करें। अहस्ताक्षरित अथवा स्वीकृति पत्र के अभाव में निविदायें स्वीकार नहीं की जाएंगी। तकनीकी निविदा में पात्र पाए गए निविदाकर्ताओं की वित्तीय निविदा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बाद निर्धारित समय पर खोली जाएगी। यदि निविदा खोलने की तिथि बाद में घोषित की जाती है तो निविदा अगले निर्धारित दिन पर खोली जायेगी।
8. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता और वित्तीय निविदा में न्यूनतम दर (एल1) को उद्धृत करने वाले निविदादाता को सफल निविदा घोषित किया जाएगा। असफल निविदाकारों की धरोहर राशि (यदि कोई है तो), सफल निविदाकार को आदेश जारी होने के 30 कार्य दिवसों के भीतर संबंधित निविदाकारों के बैंक खातों में वापस कर दी जाएगी और अनुबंध अवधि समाप्त होने के बाद सफल/L1 निविदादाता के द्वारा जमा की हुई सुरक्षा राशि उसके बैंक अकाउंट में वापस कर दी जाएगी, जिसके लिए सभी निविदाकारों को दिए गए प्रारूप में अपने बैंक खाते का विवरण Annexure – A दिये फ़ारमेट में भर कर स्कैन की गई कॉपी अपलोड/संलग्न करनी होगी।
9. यदि निविदाकर्ता किसी भी संबंध में निविदा वापस लेता है या निविदा से हट जाता है या अपनी निविदा की वैधता की अवधि के भीतर निविदा में संशोधन करता है या अनुबंध की अवधि के दौरान अनुबंध के किसी भी नियम व शर्त को किसी भी तरह से संशोधित करता है या निविदाकर्ता वाहन प्रदान करने में असमर्थ रहता है, तो निविदादाता की ईएमडी/प्रतिभूति राशि या सुरक्षा राशि को जब्त करते हुए अनुबंध को समाप्त कर निविदादाता को निगम की काली सूची में डाला जा सकता है।
10. सफल निविदादाता के द्वारा वांछित वाहन प्रदान करने के साथ राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ में GeM अनुबंध आदेश पर हस्ताक्षर कर जमा करवाना होगा। संतोषजनक सेवाओं के आधार पर उक्त अनुबंध की समीक्षा के बाद दोनों पक्षों की सहमति से इसे एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। जिसके लिए राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, क्षेत्रीय केंद्र सरकार, चंडीगढ़ बाध्य नहीं होगा।

11. राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ अनुबंध अवधि के दौरान वाहन प्रदाता को 15 दिन की अग्रिम सूचना बिना कोई कारण को स्पष्ट करते हुए, देकर अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
12. वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर व्यावसायिक (टीए. नंबर) तथा निविदाकर्ता के नाम पर होना अनिवार्य है, यह 3 वर्ष यानी 2023 से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए और संतोषजनक स्थिति में होना चाहिए। वाहन मालिक को अपने वाहन पर होने वाले सभी खर्चों (मशीनों, ईंधन, रखरखाव, पार्ट्स, बीम, देय सभी प्रकार के कर, पंजीकरण की मंजूरी, सड़क कर आदि सहित) को पूरी तरह से वहन करना होगा। राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ द्वारा इस संबंध में कोई खर्च नहीं किया जाएगा। वाहन पर किसी भी आधिकारिक दौरे के दौरान लगने वाले वाहन पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स व राज्य प्रवेश शुल्क का भुगतान राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ द्वारा पार्किंग/टोल टैक्स/ राज्य प्रवेश के वास्तविक बिल/रसीदें प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।
13. वाहन चालक के पास वैध लाइसेंस के साथ वाहन चलाने का अनुभव होना आवश्यक है। यदि वाहन प्रदाता द्वारा किसी भी दिन वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है या फिर वाहन देर से उपलब्ध कराया जाता है, तो वाहन प्रदाता पर GeM पोर्टल के अनुबंध के अनुसार जुर्माना लगाना तथा राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उचित कार्यवाही करने का अधिकार होगा। चालक को शराब/किसी अन्य प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन करने की आदत नहीं होनी चाहिए और ना ही चालक कार्यालय समय में उक्त किसी भी प्रकार का नशा कार्यालय समय में करेगा। इसके अलावा यदि अनुपालन या आचरण के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो वाहन प्रदाता को 3 कार्य दिवसों के भीतर दूसरा वाहन चालक प्रदान करना होगा।
14. वाहन चालक को दैनिक आधार पर वाहन के उपयोग के सभी रिकॉर्ड (प्रारंभिक और अंतिम मीटर रीडिंग, किलोमीटर उपयोग, मार्ग विवरण, वाहन का उद्देश्य, उपयोगकर्ता का नाम, हस्ताक्षर एवं यात्रा शुरू करने और समाप्त करने का समय इत्यादि) एक लॉग बुक में दर्ज करना होगी और क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ के संबंधित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित करना होगा। लॉग बुक सभी मायनों में सही और पूर्ण होनी चाहिए, जिसकी प्रति मासिक बिलों का सत्यापन एवं भुगतान करने के लिए किया जाना होगा। पूर्ण रूप से भरी हुई लॉग बुक के बिना भुगतान नहीं किया जायेगा तथा इसे पूर्ण करने की जिम्मेदारी स्वयं वाहन प्रदाता की होगी।
15. उक्त लॉग बुक भरने के उपरांत/अनुबंध समाप्त होने के बाद लॉग बुक को क्षेत्रीय कार्यालय में जमा कराना होगा।
16. अनुबंधित वाहन को पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों में कहीं भी सुबह 09:00 बजे से रात 09:00 बजे तक चलाया जा सकता है, और क्षेत्रीय कार्यालय की आवश्यकता के अनुसार समय में बदलाव/बढ़ाया जा सकता है।
17. वाहन को प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे के उपरांत भी बुलाया जा सकता है, जिसकी सूचना वाहन प्रदाता को मोबाइल फोन के माध्यम से पूर्व में दे दी जायेगी। जिसके लिए वाहन प्रदाता द्वारा उपलब्ध करवाए गये वाहन चालक के पास मोबाइल होना आवश्यक है।
18. यदि वाहन का निगम के कार्य हेतु रात्रि में काम लिया जाता है या बाहर ले जाया जाता है तो ऊचूटी के दौरान रात्रि भत्ता वाहन चालक को दिया जायेगा, जो की GeM पोर्टल पर उद्घृत की गई दर के अनुसार देय होगा। (यदि वाहन प्रदाता द्वारा GeM पोर्टल पर रात्रि भत्ता उद्घृत नहीं किया जाता है तो दर रुपये 200/- प्रति रात्रि माना जाएगा। जो की रात 10:30 बजे (या फिर GeM अनुबंध के अनुसार) के बाद से लागू होगा।)
19. निविदादाता को प्रति माह 2000 किलोमीटर की निर्धारित दूरी के लिए अपनी वित्तीय निविदा भरनी होगी। यदि वाहन प्रति माह 2000 किलोमीटर से अधिक चलाया जाता है, तो इसे अतिरिक्त किलोमीटर का भुगतान वित्तीय निविदा में प्राप्त दर (जो रुपये प्रति किलोमीटर में होगी) के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ द्वारा दिया जाएगा।
20. वाहन प्रदाता वाहन को कार्यालय पार्किंग में अपने जोखिम पर खड़ा करेगा। परंतु यदि सुरक्षा की दृष्टि से वाहन प्रदाता वाहन को अपने निजी स्थान पर ले जाना चाहता है तो क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीज निगम, चंडीगढ़ की अनुमति से वाहन प्रदाता वाहन को अपनी लागत पर और अपने जोखिम पर वाहन को अपने निजी स्थान पर ले जा सकता है। यह संभव है, लेकिन लॉग बुक की रीडिंग क्षेत्रीय कार्यालय-चंडीगढ़ से ही शुरू होगी, जिसे उपयोग करने वाला अधिकारी सत्यापित करेगा।
21. वाहन में किसी भी आधिकारिक यात्रा के दौरान अधिकारीगण और अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी वाहन प्रदाता की होगी। अनुबंध अवधि के दौरान अनुबंधित वाहन से होने वाली कोई दुर्घटना या किसी भौतिक या वित्तीय हानि, यातायात नियमों के उल्लंघन या वाहन को हुई क्षति, चोरी, टूट-फूट, किसी अन्य पक्ष द्वारा लगाया गया हर्जाना या दावा, मुकदमा, शासकीय व अशासकीय दंड का भुगतान इत्यादि के मामले में वाहन प्रदाता की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। इस संबंध में, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय-चंडीगढ़, होने वाले मुकदमे, हर्जाना, दावा, किसी भौतिक या वित्तीय हानि के लिए दायित्व निर्वहन या भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
22. वाहन प्रदाता को भुगतान, स्वीकृत दरों पर निर्धारित प्रारूप में मासिक बिल और लॉग बुक कार्यालय में जमा करने पर प्रत्येक कैलेंडर माह के अंत के 30 दिनों के भीतर (अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर) मासिक आधार पर किया जायेगा। क्षेत्रीय कार्यालय राष्ट्रीय बीज निगम, चंडीगढ़ द्वारा प्रदान की गयी सेवा के बदले किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। सरकारी नियमों के अनुसार बिल से अनिवार्य कर एवं टीडीएस की कटौती बिलों में से की जाएगी।

23. किसी भी यात्रा यात्रित/ परिस्थितिजन्य त्रुटि के कारण कार्यालय प्रभारी अधिकारी या किसी भी अधिकारी की प्रयोजनार्थ की जा रही यात्रा में यदि अधिकारी को वाहन के व्यवस्था में अतिरिक्त मूल्य वहन करना होता है, तो उक्त मूल्यों की कटौती फर्म/वाहन प्रदाता के बिलों से की जाएगी।
24. कार्यालय को प्रदान किए गए वाहन का फास्ट टैग होना अनिवार्य है, जिसके आधार पर ही टोल शुल्क का भुगतान यदि लागू होगा तो किया जा सकेगा।
25. सफल निविदाकर्ता को आदेश प्राप्त होने की तिथि से कम से कम 7 दिन के भीतर वाहन उपलब्ध कराना होगा। यदि निर्धारित समय के भीतर यदि वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो इस स्थिति में ईएमडी/ प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी और अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा। किसी कारणवश वाहन बदलने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी और वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज कार्यालय में जमा करवाने होंगे।
26. वाहन की मीटर रीडिंग सभी मायनों में सही होनी चाहिए। वाहन की मीटर रीडिंग किसी भी समय तय की गई दूरी से मेल खाना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी के पास किसी भी समय मीटर रीडिंग की सटीकता की जांच करने की व तदनुसार कार्यवाही करने की शक्ति होगी।
27. वाहन उपलब्ध कराते समय वाहन के सभी आवश्यक वैध दस्तावेज जैसे वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र, बीमा प्रमाणपत्र, प्रदूषण प्रमाणपत्र, वाहन के चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी और अन्य आवश्यक दस्तावेजों को क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ कार्यालय में जमा करवाने होंगे।
28. वाहन प्रदाता द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ को उपलब्ध कराये हुए वाहन का पंजीकरण वाहन प्रदाता के नाम पर ही होना चाहिए।
29. अनुबंध अवधि में ईंधन, बीमा, टैक्स की दरों में कोई वृद्धि या कमी पर दरें प्रभावित नहीं होगी।
30. वाहन चालक को निगम की ओर से भोजन, परिवहन/आवागमन संसाधन, चिकित्सा उपचार, रात्रि विश्राम राशि आदि की कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। सभी संविधानिक अनुपालन की जिम्मेदारी वाहन प्रदाता की होगी।
31. वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में, वाहन या किसी अन्य पक्ष को हुए नुकसान की भरपाई के लिए केवल वाहन प्रदाता ही जिम्मेदार होगा और क्षेत्रीय कार्यालय, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
32. वाहन प्रदाता यदि किसी भी समय वाहन चालक बदलता है तो इसकी पूर्व सूचना वाहन चालक के मोबाइल नंबर सहित क्षेत्रीय कार्यालय, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ में देनी होगी। सूचना फ़ोन द्वारा भी भेजी जा सकती है।
33. वाहन प्रदाता यह भी सुनिश्चित करें की उसका और उसकी फ़र्म का संबंध क्षेत्रीय कार्यालय, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ के किसी भी कर्मचारी से नहीं होना चाहिए।

34. ARBITRATION CLAUSE : -

In case any dispute arises between NSC and the other party due to any term or matter, both the parties will opt to resolve it through mutual understanding and discussion. In case, dispute remains even after discussions, then it shall be binding upon parties to resolve issue under the provisions of arbitrations & conciliation Act, 1996 as amended from time to time under this provision, the Chairman-cum-Managing Director, National Seeds Corporation Limited with the concurrence of both the parties shall appoint Sole Arbitrator to resolve the issue and both the parties will have to abide by the decision. The parties will bind to resolve this dispute through arbitration before going to court of law. The Arbitration shall be conducted at New Delhi and shall in English Language. The court of Delhi shall have the jurisdiction.

(यदि किसी नियम या मामले के कारण एनएससी और दूसरे पक्ष के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से इसे हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो इस प्रावधान के तहत समय-समय पर संशोधित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दे को हल करना पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड दोनों पक्षों की सहमति से मामले को सुलझाने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेगा और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। पक्ष अदालत में जाने से पहले इस विवाद को मध्यस्थता के माध्यम से हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी और अंग्रेजी भाषा में होगी। दिल्ली की अदालत का क्षेत्राधिकार होगा।)

मैंने उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तों को भली-भांति पढ़ एवं समझ लिया है तथा मैं इन्हें पूर्णतः स्वीकार करता हूँ।

नामांकित व्यक्ति के हस्ताक्षर

आवश्यक दस्तावेज जिन्हें स्व-प्रमाणित कर तकनीकी निविदा में अपलोड किया जाना है:

1. फर्म पंजीकरण / प्रोपराइटरशिप प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा और यदि पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप डीड की एक प्रति संलग्न करें। कंपनी या पार्टनरशिप फर्म है तो हस्ताक्षर के लिए अधिकृत व्यक्ति होने का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
2. फर्म के जीएसटी पंजीकरण की प्रतिलिपि
3. फर्म के पैन कार्ड की प्रतिलिपि
4. बैंक विवरण हेतु रद्द किए गए बैंक चेक या **Annexure-A** पर दिये अनुसार प्रपत्र भर कर संलग्न करें (ईएमडी/सुरक्षा राशि को लौटाने हेतु)
5. किसी भी प्रकार की दुर्घटना अथवा अन्य स्थिति में हुए नुकसान हेतु राष्ट्रीय बीज निगम के जिम्मेदार न होने के संबंध में शपथपत्र **Annexure-B** पर दिये अनुसार
6. 03 वर्षों का कार्य अनुभव प्रमाणपत्र/कार्यदिश निविदा दस्तावेज के अनुसार (एमएसएमई (MSME) निविदाकर्ता के लिए छूट प्राप्त, यदि एमएसएमई (MSME) प्रमाणपत्र प्रासंगिक श्रेणी हैं तो)
7. निविदाकर्ता का पिछले 3 वर्षों का वार्षिक कारोबार {एमएसएमई (MSME) निविदाकर्ता के लिए छूट प्राप्त, यदि एमएसएमई (MSME) प्रमाणपत्र प्रासंगिक श्रेणी हैं तो}
8. गैर काली सूचीबद्ध का शपथपत्र (**Annexure-C** के अनुसार)
9. एमएसएमई (MSME) पंजीकरण प्रमाणपत्र (यदि कोई है तो), ईएमडी राशि में छूट प्राप्त करने हेतु एमएसएमई (MSME) प्रमाणपत्र प्रासंगिक श्रेणी में होना अनिवार्य हैं।
10. निविदा के सभी नियम एवं शर्तों को स्वीकारते हुए हस्ताक्षरित पत्र
11. वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र (वैध अवधि सहित), जिसका रजिस्ट्रेशन निविदाकर्ता के नाम पर होना अनिवार्य हैं।
12. वाहन का पीयूसी प्रमाणपत्र (वैध अवधि सहित)
13. वाहन का बीमा (वैध अवधि सहित)

Annexure –A

(On letterhead of contractor with seal and signature)
(KINDLY FURNISH FOLLOWING VALID INFORMATION FOR AN QUICK REFUND OF EMD/Security Deposit)

सेवा में,
क्षेत्रीय प्रबंधक,
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड,
क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़

विषय : RTGS/आरटीजीएस के माध्यम से हमारे बैंक खाते में EMD/Security Money (प्रतिभूति / सुरक्षा राशि) की वापसी के संबंध में।

महोदय,

यदि हम/मैं आवेदन में असफल (असफल आवेदन) हैं, तो कृपया हमारे/मेरे द्वारा जमा की गई प्रतिभूति / सुरक्षा राशि को निम्नलिखित बैंक खाते में वापस कर दें।

निविदादाता के बैंक का विवरण		शीघ्र एवं त्वरित पत्र प्रसंस्करण के लिए चयनित बोलीदाता का संपर्क विवरण।	
बैंक का नाम और शहर :		पता:	
EMD राशि (रूपये में) :			
खाता संख्या :		टेलीफ़ोन न°	
MICR Code :		मोबाइल न°	
IFSC Code :		ई-मेल आईडी/ E-Mail ID	

धन्यवाद

निविदाकर्ता के हस्ताक्षरमय सील

UNDERTAKING

This is to undertake that, _____ (Name of the Firm)/ The Second Party will have all liability regarding Government dues as well as any human loss/injury during the course of work will be personal responsibility of the Firm. National Seeds Corporation Limited/ The First Party shall not be liable, in any case. NSC will not be responsible, either directly or indirectly, to pay any compensation for bodily injury to any person in case of any personal injury is caused by accident / mis-happening arising out of and in the course of any work at NSC.

Signature of Authorized signatory _____

Name _____

Designation _____

Name of the Firm/Company _____

Full address _____

Official Stamp

Place : _____

Date:- _____

**FORMAT OF UNDERTAKING, TO BE FURNISHED ON COMPANY LETTER HEAD WITH REGARD
TO BLACKLISTING/ NON- DEBARMENT, BY ORGANISATION**

UNDERTAKING REGARDING BLACKLISTING / NON – DEBARMENT

AFFIDAVIT

To,

The Regional Manager,
National Seeds Corporation Ltd.,
Chandigarh (Punjab)

We hereby confirm and declare that we, M/s -----, is not blacklisted/ De-registered/ debarred by any Government department/ Public Sector Undertaking/ Private Sector/ or any other agency for which we have Executed/ Undertaken the works/ Services during the last 5 years.

For -----

Authorized Signatory

Date:

तकनीकी प्रस्ताव प्रपत्र

क्षेत्रीय कार्यालय, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ में किराए पर एक सफेद रंग का एसी/AC वाहन (मारुति स्विफ्टडिजायर / मारुति टूर एस) वाहन चालक सहित मासिक आधार पर उपलब्ध कराने के लिए आमंत्रित ई-निविदा के तहत हम अपने वाहन प्रदान करने के इच्छुक हैं। उपरोक्त निविदा के लिए हम अपने फ़र्म या वाहन से संबंधित दस्तावेज़ों की हस्ताक्षरित प्रतिलिपि संलग्न कर तुलना हेतु प्रेषित करते हैं।

क्र. सं.	विवरण	संलग्न (हाँ या नहीं)
1	फ़र्म / प्रोपराइटरशिप का नाम, ईमेल, मोबाइल टेलीफोन नंबर, पूर्ण पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति	
2	यदि पार्टनर शिप फ़र्म है तो पार्टनरशिप डीड की एक प्रति संलग्न करें।	
3	कंपनी या पार्टनर शिप फ़र्म है तो हस्ताक्षर के लिए अधिकृत व्यक्ति होने का प्रमाण पत्र संलग्न करें।	
4	फ़र्म के जीएसटी पंजीकरण संख्या की प्रतिलिपि	
5	फ़र्म के पैन कार्ड की प्रतिलिपि	
6	बैंक विवरण हेतु रद्द किए गए बैंक चेक या Annexure-A पर दिये अनुसार प्रपत्र भर कर संलग्न करें (ईएमडी/सुरक्षा राशि को लौटाने हेतु)	
7	किसी भी प्रकार की दुर्घटना अथवा अन्य स्थिति में हुए नुकसान हेतु राष्ट्रीय बीज निगम के जिम्मेदार न होने के संबंध में शपथपत्र Annexure-B पर दिये अनुसार	
8	03 वर्षों का कार्य अनुभव प्रमाणपत्र/कार्यदेश निविदा दस्तावेज़ के अनुसार	
9	निविदाकर्ता का पिछले 3 वर्षों का वार्षिक कारोबार	
10	गैर काली सूचीबद्ध का शपथपत्र (Annexure-C के अनुसार)	
11	एमएसएमई (MSME) पंजीकरण प्रमाणपत्र (यदि निविदाकर्ता ईएमडी राशि/ कार्य अनुभव / वार्षिक कारोबार में छूट प्राप्त करना चाहता है तो एमएसएमई (MSME) प्रमाणपत्र प्रासंगिक श्रेणी में होना अनिवार्य है।)	
12	निविदा के सभी नियम एवं शर्तों को स्वीकारते हुए हस्ताक्षरित पत्र	
13	वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (वैध अवधि सहित) जिसका रजिस्ट्रेशन निविदाकर्ता के नाम पर होना अनिवार्य है।	
14	वाहन का पीयूसी/प्रदूषण प्रमाण पत्र (वैध अवधि सहित)	
15	वाहन का बीमा (वैध अवधि सहित)	

हस्ताक्षर

निविदा देने वाली फ़र्म का नाम-----
पूरा पता-----

मोबाइल नंबर-----
ईमेल आईडी-----